

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Chaudhary Charan Singh University, Meerut



पत्रांक: परीक्षा / 1168
दिनांक: 22.06.2019

मा में,

विभागाध्यक्ष/समन्वयक/प्राचार्य/प्राचार्या/निदेशक,
समस्त सम्बद्ध राजकीय/अनुदानित/स्ववित्त पोषित महाविद्यालय/संस्थान एवं
विश्वविद्यालय परिसर,
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय,
मेरठ।

वषय :- विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित समस्त लिखित परीक्षाओं में दृष्टिबाधित परीक्षार्थी को श्रुतिलेखक
सुविधा हेतु अतिरिक्त समय प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

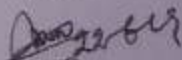
होदय/महोदया,

उपायुक्त, न्यायालय/कार्यालय राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्रांक 300-
1/विन/659/18/रा.आ.दि.ज./2018, दिनांक 09.05.2019, जो विश्वविद्यालय की समस्त परीक्षाओं में
दृष्टिबाधित परीक्षार्थी को श्रुतिलेखक सुविधा हेतु 20 मिनट प्रति घण्टा अतिरिक्त समय प्रदान किये जाने के
सम्बन्ध में है।

सन्दर्भित प्रकरण पर विचार करते हुये विश्वविद्यालय परीक्षा समिति द्वारा अपनी बैठक दिनांक
07.06.2019 के मद सख्या-15 में लिये गये संकल्पानुसार विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित समस्त लिखित
परीक्षाओं में दृष्टिबाधित परीक्षार्थी हेतु श्रुति लेखक सुविधा हेतु छात्र को पूर्व में निर्धारित अतिरिक्त समय
10 मिनट प्रति घण्टे के स्थान पर 20 मिनट प्रति घण्टे का अतिरिक्त समय दिये जाने की स्वीकृति प्रदान
कर दी गयी है।

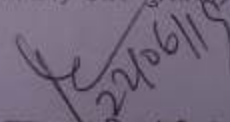
अवगत होने का कण्ट करें।

भवदीय,


कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. सचिव, कुलपति को मा0 कुलपति जी के सूचनार्थ।
3. वैयक्तिक सहायक, प्रति कुलपति को मा0 प्रति कुलपति जी के सूचनार्थ।
4. वैयक्तिक सहायक, कुलसचिव/परीक्षा नियंत्रक को कुलसचिव/परीक्षा नियंत्रक जी के सूचनार्थ।
5. उप कुलसचिव/प्रभारी (कमेटी सैल/बो0एड0 सैल/व्य0 पाठ्यक्रम/गोपनीय/उत्तर पुस्तिका/अति-गोपनीय/सामान्य) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. समस्त अनुभाग प्रभारी-परीक्षा/रिकार्ड रूम (परीक्षा)।


उप कुलसचिव (परीक्षा)